न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2026

1. रामेश्वर पुत्र रिद्धकरण
2. लाली देवी पत्नी श्योराम

सर्व जाति जाट सर्व निवासीगण ग्राम छोटा लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर (राज.)

वनाम

प्रार्थीगण

1. कमला पुत्री रघुनाथ
2. गुमान पुत्री जगदेव
3. गिरधारी पुत्र रामरतन
4. जगदीश पुत्र कल्याण
5. नन्दू पत्नी स्व. जगदेव
6. नाराज पुत्री स्व. जगदेव
7. नोरता पत्नी गोपी
8. प्रहलाद पुत्र जगदेव
9. भागचन्द पुत्र ऊँकार
10. भागचन्द पुत्र हरकरण
11. भोली पत्नी हरकरण
12. मनोहर पुत्री जगदेव
13. महावीर पुत्र हरकरण
14. राजूलाल पुत्र सत्यनारायण
15. रामकिशन पुत्र जगदेव
16. रामरतन पुत्र रघुनाथ
17. रामराज पुत्र हरकरण
18. विश्राम पुत्र गोपी
19. शिवराज पुत्र उगमा
20. सुदामा पुत्र उगमा
21. सीता पुत्री रघुनाथ
22. हरचन्द पुत्र उगमा

    सर्व जाति जाट सर्व निवासीगण ग्राम छोटा लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर (राज.)
23. तहसीलदार साहब तहसील अरांई जिला अजमेर (राज.)
24. प्रशासक, ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थीगण

25. जीतराम पुत्र सत्यनारायण
26. भागूत देवी पत्नी स्व. सत्यनारायण
27. हनुमान पुत्र सत्यनारायण

    सर्व जाति जाट सर्व निवासीगण ग्राम छोटा लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर (राज.)
28. सरता कंवर पत्नी रतनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छोटा लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर (राज.)

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक

वकील वादी – श्री विजय पोषक

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री विजय पोषक द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खुद काश्त कृषि आराजी खातेदारी खाता संख्या नया 656 व पुराना 652 खसरा नम्बर 1785 रकबा 1.7887 हैक्टेयर ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थीगण व प्रोफोर्मा पक्षकारगण सामलाती रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थीगण का पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी अप्रार्थीगण की कृषि आराजी के मध्य अवस्थित है यानि उक्त अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान से प्रार्थीगण की कृषि आराजी की सीमा लगती हुई है। फसल काश्त करते समय आये दिन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य अपनी कृषि आराजी की सीमाओं को लेकर वाद विवाद होता रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषकीय कार्यों में गम्भीर परेशानी का सामना करना पडता है जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार अरांई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वास्ते मौके का सीमाज्ञान किये जाने हेतु निवेदन किया गया था जिस पर श्रीमान् तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व प्राधिकारियों की टीम गठित कर खसरा नम्बर 1785 का मौके पर जाकर मुस्तकिल बिन्दू से जरीब चलाकर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2024 को किया गया था।

[signature]

प्रार्थीगण व प्रोफोर्मा पक्षकारगण खसरा संख्या 1785 के सहखातेदार होकर काबिज काश्तकार है जिनका अपनी कृषि आराजी बाबत पत्थरगढ़ी करवाकर काश्त कार्य करने का मौलिक एवं नैसर्गिक न्याय का अधिकार भी प्रार्थीगण में निहित है। प्रार्थीगण की कृषि आराजी खसरा संख्या 1785 की हदहदूद एवं अडौस पडौस में लगने वाले कृषि भूमि के खातेदारान को पक्षकार अप्रार्थीगण संयोजित किया गया है तथा समस्त पडौसी खसरा नम्बरान की जमाबन्दी व प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा मय जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। जब प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन निर्धारित करने का प्रयास किया गया तब अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी विधिक आधार के वाद विवाद कर प्रार्थीगण को अपनी   कृषि आराजी की सीमाओं को सुरक्षित करने से महरूम किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 23 लैण्ड होल्डर होने एवं पड़ौसी खसरा नम्बरान क्रमशः खसरा संख्या 2263/1782 का स्वामी होने से तथा न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित किये जाने वाले पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना हेतु उत्तरदायी होने से आवश्यक पक्षकार होने के चलते अप्रार्थी कायम किया गया है। अप्रार्थी संख्या 24 ग्राम पंचायत प्रशासक होने तथा खसरा संख्या 1784 गै.मु. आबादी का स्वामी होने से पक्षकार मुकदमा संयोजित किया गया है। उक्त पत्थरगढ़ी बाबत माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शुल्क एवं शर्तों की पालना हेतु प्रार्थीगण तैयार एवं तत्पर है। वाद कारण प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि आराजी पर मुटाम कायम कर पत्थर गाड़कर चाक चोबन्द करने का कार्य किया जा रहा था तब अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को मुटाम कायम करने से रोक दिया गया। तत्समय दिनांक 15.12.2025 एवं तब से लेकर वाद कारण दिन प्रतिदिन निरन्तर जारी है। उक्त कृषि आराजी ग्राम लाम्बा तहसील अरॉई जिला अजमेर में अवस्थित होने से न्यायालय श्रीमान् को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण की कृषि आराजी खसरा संख्या 1785 ग्राम लाम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बा तहसील अरॉई जिला अजमेर जिसके खाता संख्या नया 656 व पुराना 652 है, की पत्थरगढ़ी राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दिनांक 06.02.2026 को दर्ज रजिस्टर किया गया। नोटिस तामील हेतु भिजवाये गये। दिनांक 01.04.2026 को तामील रिपोर्ट प्राप्त हुई। बावजूद तामिली के अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। पैरोकार सरकार द्वारा राजस्व मानचित्र अनुसार पत्थगढी करने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। दिनांक 08.04.2026 को बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू काश्तकार अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राज. में स्थित खाता संख्या नया 656 पुराना 652 खसरा संख्या 1785 रकबा 1.7887 हैक्टेयर का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस रूपये 1000/- रकम पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस रूपये 1000/- जमा करवाने पर मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थी के कब्जानुसार पक्षकारान की उपस्थिति में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्तिधीन स्थिति को देखते हुए (एन.एच. अवाप्तिधीन न हो) उक्त वादग्रस्त भूमि का नाप चौक कर पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
अराई